ए.11018/39/2019–एम.एच.2/एन.सी.डी.–1

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एनसीडी–1

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 22 जून, 2021

जन–सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आार आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में प्राध्यापक (प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स) पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जन–सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदन अपने सुझाव अवर सचिव (डी.एस.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई–मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते है।

(धर्मेन्द्र सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं० 011–2306 2666

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2021

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, प्राध्यापक, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, चिकित्सा सामाजिक कार्य, व्यावसायिक निर्देशन और वाक् चिकित्सा, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2013 को, जहां तक उनका संबंध प्राध्यापक(प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में प्राध्यापक (प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, प्राध्यापक(प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स) (समूह 'क' पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2021 है।

   (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

   (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्राध्यापक (प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स)	6* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में मास्टर डिग्री; और (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय या विनियामक परिषद से मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय में प्रोस्थेटिक्स और ओर्थोटिक्स उपकरणों की विरचना और विनिर्माण के शिक्षण, पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान का 2 वर्ष का अनुभव, या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में डिग्री; और (iv) केन्द्रीय या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय या विनियामक परिषद से मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय में प्रोस्थेटिक्स और ओर्थोटिक्स उपकरणों की विरचना और विनिर्माण के शिक्षण, पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान का 3 वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	आयु: लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हताएं: हाँ	एक वर्ष।	33.33 प्रतिशत (2 पद) प्रोन्नति द्वारा; और 66.67 प्रतिशत (4 पद) प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400) में वरिष्ठ प्रोस्थेटिक्स या वरिष्ठ ऑर्थोटिक्स या कनिष्ठ प्रोस्थेटिक्स या कनिष्ठ ऑर्थोटिक्स और ब्रेस मेकर फिटर जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपये) या समतुल्य में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये) या समतुल्य में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई - सदस्य; 4. उप महानिदेशक(संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य। समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई - सदस्य; 3. उप महानिदेशक(संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 4. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

(ए.11018/39/2019-एमएच-II)

अवर सचिव, भारत सरकार